

प्रिय,

एचओसी० सिंह,

जि.सं.सं.सं.

5090 शारदा

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अ.वि.क.सं.

5090, लखनऊ

नगरीय रोजगार एवं नरीवी

संख्या : दिनांक : 2/ अगस्त, 2015

अनुदान कार्यक्रम विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1903/76. एक/एवीएमसीओआई/2013-14, दिनांक 06 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की न०पा०परि० लोदी, मुरादनगर, न०पा० डासना व नगर निगम, गाजियाबाद की 14 परियोजनाओं एवं जनपद-बहराईच की न०पा०प०, बहराईच, नानपारा व न०पा०, जयवल तथा रिसिया की 22 परियोजनाओं अर्थात् उक्त दोनों जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 36 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या 30/2015/2648/69-1-14-71(असो-37)/2014, दिनांक 09 जनवरी, 2014 द्वारा रु० 762.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु० 331.485 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त जनपदों में से केवल जनपद-बहराईच की न०पा०प०, बहराईच व नानपारा एवं न०पा०, जयवल व रिसिया की कुल 13 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ 6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि रु० 89.24 लाख (रुपये नवासी लाख चौबी हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रथमतः योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रथमतः परियोजनाओं में परतकित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरतिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के परतर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7/8/15/15/3/5/15/15

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा दत्त योजना के अन्तर्गत नियोजित प्रयोजनों के प्रयोजन के अनुसार उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत प्रायोजनान्तर्गत प्रयोजित विनियमों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रयोजन करवाये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उक्त लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सकें।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी विभाग से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक देश में उक्त कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्त नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/ड्राफ्टर/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किन्हे जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदाय संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के मागणों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उक्त कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य जगत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रियायतें ही स्वीकृत धनराशि अतत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की टिंरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं भरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30 प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. निर्माण का जो भी धनराशि के तबका 33.33 ही धनराशि अर्हीत की जायेगी, त्रिविंशती मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
16. अथशुद्ध व्यय वाला वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत परिष्कारित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेवासीपक "2217 शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास 051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अन्यसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0पी0 रोड, इन्फ्रास्ट्रक्चरिंग नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के माते अत्रा जायेगा।
17. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय अप संख्या-2/2015/वी-1-925/दम-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समग-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।  
संख्यांक...संशोधन

भवदीय,  
23/3/15  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-777/2015/2098(1)/69-1-2015 तद्विज्ञा।

परिचिति, निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 5050, 20 सरोजनी नाथरु मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 5050, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 5050 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बहराइच ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 5050 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 5050 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 5050, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सुडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. आई फाउल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

शुद्ध प्रदेश संकेत- 117/2015/2018/52-1-15-71(अडर-37)/2014, दिनांक 27 अगस्त, 2015

का संदर्भ में।

(अनुसंधान कायदा 2002 में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	जिला/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	बहराइच	मोपाओ, बहराइच	मो० भगनडगा में राजू के मकान से एम्पू आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.64	4.82
2.	तदैव	तदैव	मो० सत्तारगंज हसन नगर में बनवारी के मकान से मसिपात के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.52	5.26
3.	तदैव	तदैव	मो० सत्तारगंज हसन नगर में जौहरा नर्सिंग होम से बनवारी के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.79	9.895
4.	तदैव	तदैव	मो० सत्तारगंज में पानी टंकी के पास कच्यून के मकान से रहमान, अय्युब आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.85	2.925
5.	तदैव	तदैव	मो० परलरीबाग में शिव नारायण के मकान से मज्जर तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.94	7.97
6.	तदैव	तदैव	मो० दरगाह शरीफ घोसियाना में शमसेर के मकान से मो० सदीक, बुट्टी, बन्ने, पायू से जुम्नन सब्दीर मौलाना में सदीक आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.36	9.68
7.	तदैव	मोपाओ, नानपारा	मो० पुरानी बाजार में राजा फाटक से गड़ी घाट रोड तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग	39.71	19.855

